


फर्द अहकाम

रमेशचन्द्र बनाम सौहन लाल कां०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 31/2020

प्राप्य १३

दिनांक प्राज्ञा या नार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
१/५/२६ लगातार	<p>हारा जारी कस्यारी निषेधाज्ञा का मूल वाड के निष्कारण एक रू-धामी किमा आकर दोनो पक्षों को पाबन्द किमा जाता है चजावली फौसल कुमार केकर दाखिल दफतर है तथा नरक्षर से कम है कर मूल वाड के हमफिता रहे</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>	